



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102021-230819
CG-DL-E-29102021-230819

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4144]
No. 4144]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 29, 2021/कार्तिक 7, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 29, 2021/KARTIKA 7, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4505(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-328 के 07.41 कि. मी.से 56.245 कि. मी. तक के भूखंड (बस्ती-मेहदावल-कैम्पियरगंज-परतावल सेक्शन) का निर्माण (टू लेन विद पेव्ड सोल्डर / चार लेन बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजमार्ग में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, बस्ती लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किये जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात् यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्योरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-328 के कि.मी. 7.41 से कि.मी. 56.245 तक के भूखंड (बस्ती-मेहदावल-कैम्पियरगंज-परतावल सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: बस्ती			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: बस्ती सदर					
गांव का नाम: सिहारी					
1	434	निजी	कृषि	50.0000000(वर्ग मीटर)	0.0050000
2	436	निजी	कृषि	10.0000000(वर्ग मीटर)	0.0010000
3	437	निजी	कृषि	20.0000000(वर्ग मीटर)	0.0020000
4	439	निजी	कृषि	20.0000000(वर्ग मीटर)	0.0020000
5	443	सरकारी	चकमार्ग	50.0000000(वर्ग मीटर)	0.0050000
6	462	सरकारी	गड्डी	80.0000000(वर्ग मीटर)	0.0080000
7	480	सरकारी	सड़क	229.0000000(वर्ग मीटर)	0.0229000
8	481	सरकारी	सड़क	565.0000000(वर्ग मीटर)	0.0565000
9	482	सरकारी	सड़क	551.0000000(वर्ग मीटर)	0.0551000
कुल				1,575.0000	0.1575

[फा. सं. 002/inprinciple/3A/2018-19/3A1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2021

S.O. 4505(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Two Lane with Paved Shoulder/Four-laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway road project, in the stretch of land from Km. 7.41 to km. 56.245 (Basti-Mehdawal-Campianganj-Partawal Section) of National Highway 328 in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within Twenty-One days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Special Land Acquisition Officer, Basti in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km. 07.41 to km. 56.245 (Basti-Mehdawal-Campierganj-Partawal Section) of National Highway 328 in the State of Uttar Pradesh

State: UTTAR PRADESH		District: BASTI			
S.No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Basti Sadar					
Village: Sihari					
1	434	Private	Agriculture	50.0000000(Square Meter)	0.0050000
2	436	Private	Agriculture	10.0000000(Square Meter)	0.0010000
3	437	Private	Agriculture	20.0000000(Square Meter)	0.0020000
4	439	Private	Agriculture	20.0000000(Square Meter)	0.0020000
5	443	Government	Chakmarg	50.0000000(Square Meter)	0.0050000
6	462	Government	Gadhahi	80.0000000(Square Meter)	0.0080000
7	480	Government	Road	229.0000000(Square Meter)	0.0229000
8	481	Government	Road	565.0000000(Square Meter)	0.0565000
9	482	Government	Road	551.0000000(Square Meter)	0.0551000
Total				1,575.0000	0.1575

[F. No. 002/inprinciple/3A/2018-19/3A1]

RAJESH GUPTA, Director